तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 52/2017 अंतर्गत धारा–76 एल.आर. एक्ट

(GCMS No. 2017/00192)

23.9.2025

1. हरनेक सिंह पुत्र बलवन्त सिंह पुत्र हरनामा सिंह जाति जटसिख निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. गुरदेव सिंह
3. दिलावर सिंह
4. बख्तावर सिंह
5. सुखदर्शन सिंह
6. गुरसेवक सिंह

(2 से 6) पिसरान बलवन्त सिंह अकवाम जटसिख साकिन चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री विजय कुमार पारीक ने प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का देहांत दिनांक 27.02.2021 को हो गया है तथा 90 दिवस की मियाद अवधि समाप्त हो चुकी है। अभिभाषक अपीलांट को भी उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील अबेट हो जाने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलांट का देहांत दिनांक 27.02.2021 को हो गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाने के उपरांत भी अपीलांट के वारिसान को अपील में पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही नहीं की है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट Abate हो जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर